389

प्रेषक,   संख्याः 183 / XV-1/15/ 1(1)/14

डा० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 24 फरवरी, 2015

विषयः अहिल्याबाई होल्कर योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1746/नि०–5/एक(32)/अहिल्याबाई/2014–15 दिनांक 6 अगस्त, 2014 एवं पत्र संख्या–3464/नि०–5/एक(32)/अहिल्याबाई/2014–15 दिनांक 28 नवम्बर, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में अहिल्याबाई होल्कर भेड़/बकरी विकास योजनान्तर्गत 75 भेड़ पालन इकाईयों (10 मादा व 1 नर प्रति इकाई) तथा 125 बकरी पालन इकाईयों (10 मादा व 1 नर प्रति इकाई) की स्थापना हेतु प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्रावधानित धनराशि ₹ 189.54 लाख **(₹ एक करोड़ नवासी लाख चौवन हजार मात्र)** की धनराशि सब्सिडी मद की धनराशि ₹ 183.54 लाख के अग्रिम आहरण की स्वीकृति सहित व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्न विवरणानुसार प्रदिष्ट किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र० सं०	मद नाम	आवंटित धनराशि
1	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	300
2	16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100
3	42–अन्य व्यय	50
4	46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर क्रय	100
5	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सबंधी स्टेशनरी का क्रय	50
6	50–सब्सिडी	18354
	योग	**18954**

2. अहिल्याबाई होल्कर भेड़/बकरी विकास योजना के संचालन हेतु लाभार्थी चयन प्रक्रिया तथा अनुदान दिये जाने हेतु शासनादेश संख्या– 182/XV-1/15/1(1)/14 दिनांक 24 फरवरी, 2015 द्वारा निर्धारित प्रावधान/दिशा–निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. धनराशि का उपयोग करने के उपरान्त व्यय का विवरण तथा लाभान्वितों की संख्या ग्रामवार/विकासखण्डवार/जनपदवार संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से ...

6. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

7. धनराशि को व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययिता संबंधी आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाय, धनराशि का आहरण एवं व्यय आवयकतानुसार ही किया जाय।

8. स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका स्टोर परचेज रूल्स डी०जी०एस० एण्ड डी० की दरें टैण्डर/कोटेशन विषयक नियम एवं मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, जहाँ कहीं आवश्यक हो तो धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष 2014–15 में किया जाय।

10. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन आयोजनागत–00–104–भेड़ एवं ऊन विकास–04–अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी विकास योजना के सुसंगत मानक मद के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–142(P)/XXVII(4)/2014 दिनांक 10 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्याः 103 (1) / XV-1/ 2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कूमायूँ मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तसाखण्ड।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग।
7. राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय देहरादून।
10. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार सिंह)
अनु सचिव